

| | | | | |
|----|--|--------------|-----------------------|--|
| 24 | कॉलम 1 (कृपया पीछे के पृष्ठ पर टिप्पणी देखें) में पहचान-पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण | दस्तावेज कोड | दस्तावेज पहचान संख्या | दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता |
| 25 | कॉलम 4 से 13 (कृपया पीछे के पृष्ठ पर टिप्पणी देखें) में पता-प्रमाण की पुष्टि में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण | दस्तावेज कोड | दस्तावेज पहचान संख्या | दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता |

सत्यापन

मैं, _____, श्री. _____ का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी**, निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हों, में दी गई जानकारी सही और सम्पूर्ण है और उनमें दिए गए विवरण सत्य कथित हैं।

2. मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे/ आवेदक या आवेदिका के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और

(i) मेरी/हमारी/आवेदक की कुल अनुमानित आय (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क संतान इत्यादि की आय सहित) जिसकी संगणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें उक्त लेनदेन किया गया है, कर के लिए प्रभार्य अधिकतम राशि से कम होगी, अथवा

(ii) आवेदक नियम 114बी के तृतीय प्रावधान के दायरे में आने वाली एक विदेशी कम्पनी है और उसे भारत में कर के लिए प्रभार्य कोई आय प्राप्त नहीं है।

3. साथ ही मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) की हैसियत से यह आवेदन _____ के लिए कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसे सत्यापित करता/करती हूँ। [यदि लागू हो तो]

आज _____ दिन _____ 20 _____ को सत्यापित किया गया है।

स्थान: _____

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

विशेष:

1. घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता इस बात से स्वयं संतुष्ट हो जायें कि इस प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी सभी संदर्भों से सत्य, सही व पूर्ण हो। घोषणा-पत्र में मिथ्या बयान करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग चलाया जायेगा और दोषी पाये जाने पर दण्ड का भागीदार होगा,-

(i) यदि पच्चीस लाख रुपये से अधिक कर चोरी पायी जाती है, तो कम से कम छः महीने की कठोर कारावास सजा होगी जिसे जुमाने सहित सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) अन्य मामलों में, कम से तीन महीने की कठोर कारावास की सजा होगी जिसे जुमाने सहित दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस घोषणा को स्वीकार नहीं करता है :-

(i) जहाँ मद 23बी में प्रदर्शित प्रकृति की आय राशि अधिकतम राशि से अधिक है जो पैन कार्ड के लिए आवेदन करने और कॉलम 22 को विधिवत रूप से भरने तक कर योग्य नहीं है।

(ii) विदेशी कम्पनी की स्थिति में मद सं. 23सी(i) में दर्शाए गए अनुसार कर के लिए प्रभार्य आय है।

3. पहचान व पता-प्रमाण की पुष्टि में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज (यदि पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आवश्यकता नहीं है और मद 21 भरें):-

| क्र.सं. | दस्तावेज की प्रकृति | दस्तावेज कोड | पहचान का प्रमाण | पते का प्रमाण |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|
| A. व्यक्तिगत व एचयूएफ के लिए | | | | |
| 1. | आधार कार्ड | 01 | हाँ | हाँ |
| 2. | व्यक्ति की फोटो सहित बैंक/डाक कार्यालय पासबुक | 02 | हाँ | हाँ |
| 3. | मतदाता फोटो पहचान-पत्र | 03 | हाँ | हाँ |
| 4. | व्यक्ति की फोटो सहित राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड | 04 | हाँ | हाँ |
| 5. | ड्राइविंग लाइसेंस | 05 | हाँ | हाँ |
| 6. | पासपोर्ट | 06 | हाँ | हाँ |
| 7. | पेंशनभोगी फोटो कार्ड | 07 | हाँ | हाँ |
| 8. | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड | 08 | हाँ | हाँ |
| 9. | व्यक्ति की फोटो सहित जाति या मूलनिवास प्रमाण-पत्र | 09 | हाँ | हाँ |

| | | | | |
|--|---|----|------|--|
| 10. | प्रपत्र 49 ए में निर्धारित परिशिष्ट ए के अनुसार संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण | 10 | हाँ | हाँ |
| 11. | प्रपत्र 49 में निर्धारित परिशिष्ट बी के अनुसार नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र | 11 | हाँ | हाँ |
| 12. | फोटो युक्त किसान पासबुक | 12 | हाँ | नहीं |
| 13. | शस्त्र लाइसेंस | 13 | हाँ | नहीं |
| 14. | केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना / भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड | 14 | हाँ | नहीं |
| 15. | सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र | 15 | हाँ | नहीं |
| 16. | बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 16 | नहीं | हाँ |
| 17. | लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 17 | नहीं | हाँ |
| 18. | पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 18 | नहीं | हाँ |
| 19. | उपभोक्ता गैस कार्ड / बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 19 | नहीं | हाँ |
| 20. | बैंक खाता स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 20 | नहीं | हाँ |
| 21. | क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 21 | नहीं | हाँ |
| 22. | डिपॉजिटरी अकाउंट स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 22 | नहीं | हाँ |
| 23. | संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़ | 23 | नहीं | हाँ |
| 24. | सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र | 24 | नहीं | हाँ |
| 25. | व्यक्ति का नाम सहित दम्पति का पासपोर्ट | 25 | नहीं | हाँ |
| 26. | संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो) | 26 | नहीं | हाँ |
| B. व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट) के लिए | | | | |
| | चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी ट्रस्ट डीड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि | 27 | हाँ | हाँ |
| C. व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट के अलावा) या व्यक्तिगत निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या अप्राकृतिक न्यायिक व्यक्ति के लिए | | | | |
| | इकरारनामे की प्रतिलिपि या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति पंजीयक या किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि या किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पहचान व पते की पुष्टि में जारी कोई अन्य दस्तावेज | 28 | हाँ | हाँ |
| D. विदेशी कम्पनी के लिए | | | | |
| 1. | आवेदक जिस देश में निवास करता हो वहां जारी किए गए पंजीयन या निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जो कि IFSC बैंकिंग युनिट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित हो। | 29 | हाँ | हाँ |
| 2. | आवेदक जिस देश में निवास करता हो वहां जारी की गई टैक्स पहचान संख्या की प्रतिलिपि जो कि IFSC बैंकिंग युनिट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित हो। | 30 | हाँ | हाँ (यदि उक्त में पते का उल्लेख हो) |

- यदि नाबालिग बच्चे के नाम से ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो नाबालिग घोषणाकर्ता की पहचान व पते के लिए उनके माता-पिता/अभिभावक के उपर्युक्त वर्णानुसार दस्तावेजों को पहचान व पता प्रमाण-पत्र माना जायेगा, और घोषणा-पत्र पर माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे।
- एचयूएफ के लिए, एचयूएफ कर्ता के नाम का कोई भी दस्तावेज आवश्यक है।
- यदि एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से ट्रांजैक्शन किया जाता है तो क्र.सं. 19 में कुल व्यक्तियों की संख्या लिखें और क्र.सं. 17 में कुल ट्रांजैक्शन राशि भरें।

यदि कॉलम 23 बी में अनुमानित कुल आय राशि से अधिक राशि कर योग्य नहीं है तो वह व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन कर, मद 22 भरें और आवेदन जमा करने का प्रमाण पत्र तैयार करें।]